(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और मंजूर की गई राशि से कितनी बस्तियों में बिजली लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख). कि क्योंकि यह देखा गया कि पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के साथ पड़ने वाली कुछ हरिजन बस्तियों को, इन क्षेत्रों में भारों के अलाभकारी होने के कारण तथा राज्य बिजली बोर्डों के तंग वित्तीय संसाधनों के कारण विद्युतीकृत नहीं किया गया था, भारत सरकार ने दिसम्बर, 1972 में ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक विशेष स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अनुसार ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को, ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए रियायती दरों पर ऋण सहायता दी जा रही है। निगम ने अभी तक मध्य प्रदेश की ऐसी तीन स्कीमें स्वीकृत की है जिसमें 15.891 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है और पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के साथ पड़ने वाली 339 हरिजन बस्तियों में 4001 स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

सतना–रीवा–छतरपुर–हरपालपुर–टीकमगढ़ झांसी के लिए रेलवे लाइन

40. श्री घनश्याह प्रधान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतना–रीवां–छतरपुर–हरपालपुर–टीकमगढ़–झांसी को रेल द्वारा मिलाने हेतु सर्वेक्षण का पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). रीवां के रास्ते सतना से ब्योहारी तक बड़े आमान की एक नयी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण के काम में अच्छी प्रगति हो रही है और यह काम पूरा होने वाला है। यह लाइन प्रस्तावित सतना–रीवां–छतरपुर–हरपालपुर–झांसी रेल सम्पर्क का ही एक भाग है। इस समय जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसके परिणाम मालूम होने पर ही सतना–रीवां–ब्योहारी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकेगा। प्रस्तावित सतना–रीवां–ब्योहारी रेल लाइन को छतरपुर या हरपालपुर के रास्ते झांसी तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने वाले राज्य

41. श्री घनश्याह प्रधान :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन राज्यों में सरकार द्वारा हरिजनों तथा आदिवासियों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष धनराशि की मंजूरी दी है; और यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान, राज्यवार, कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराजसिंह चौधरी): (क) सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों के लिए,

जिनमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के सदस्य, हरिजन और आदिवासी सम्मिलित हैं, कानूनी सहायता की स्कीमो की व्यवस्था, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित राज्यो मे की गई है —

आन्ध्र प्रदेश, बिहार केरल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, पजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बगाल । राज्यो की कानूनी सहायता की स्कीमो के समान स्कीमे दादर, नागर हवली, गोवा, दमण और दीव तथा पाडिचेरी सघ राज्यक्षेत्रो द्वारा भी बनाई गई है ।

(ख) पिछडे वर्गों के राज्य सेक्टर की योजना-स्कीमो के अधीन 1972–73 के दौरान अनुसूचित जन-जातियो और अनुसूचित जातियो को कानूनी सहायता देने के लिए विभिन्न राज्यो और सघ राज्यक्षेत्रो की सरकारो द्वारा आबटित रकमो को दर्शित करने वाला विवरण सलग्न है । यह व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो के बीच बाट लिया जाता है । तदापि, सभी स्कीमो के लिए, जिनमे पिछडे वर्गों के राज्य सेक्टर के अधीन कानूनी सहायता की स्कीम भी सम्मिलित है, केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदान/ब्लाक ऋण के रूप मे दी जाती है । कानूनी सहायता के लिए उस रूप मे कोई विशेष अनुदान नही दिया जाता है ।

विवरण

राज्य/सघ राज्यक्षेत्र का नाम	1972-73 के दौरान आबटित रकम (रुपये लाखो मे)			
	अनुसूचित जन-जातिया	अनुसूचित जातिया	डी० एन० जन-जातिया एस० एन जन जातिया	जोड
1 बिहार	1.00	—	—	1 00
2 गुजरात .	0.24	010	—	0 34
3 हरियाणा . .	—	0.15	—	0 15
4. हिमाचल प्रदेश	0 02	—	—	0 02
5. जम्मू-कश्मीर .	—	0.05	—	0 05
6 मध्य प्रदेश	0 10	0.15	—	0 25
7. मैसूर . .	0 01	0 10	0 10	0 21
8 उडीसा . .	0 50	0 40	—	0 90
9. पजाब	—	1 00	—	1 00
10 राजस्थान . .	0.10	0 10	—	0 20
11. त्रिपुरा . .	0.04	0 023	—	0 063
12. पाडिचेरी . .	—	0 05	—	0.5